# HAMIRPUR POLICE

# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

**"प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"**



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **कुरारा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 315/2022 धारा- 323,376,450,504,506 भा0द0सं0 व 3(2)5,3(2)5ए,3(1)द/ध एससी/एसटी एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय **एससीएसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **रोहित पुत्र विश्वनाथ भरभूजा** निवासी जमरेही ऊपर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये **आजीवन कारावास व 40,000/-** रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | विशेष लोक अभियोजक<br>विजय सिंह | | विवेचक-<br>सीओ रविप्रकाश सिंह |  | **पैरोकार**<br>**थाना- कुरारा**<br>**का0 संजीत कुमार** |